कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार।

संख्या–3903 / नाजिर सदर–2016(भवन अनुरक्षण / लघु निर्माण कार्य) दिनांक– 03 ,नवम्बर–2016

कोटेशन सूचना

जिला कार्यालय हरिद्वार, कलक्ट्रेट भवन परिसर में स्थापित 30 के0वी0 नया जानसेट जनरेटर के सुरक्षा हेतु लोहे का जाल एवं टीन सैड लघु निर्माण कार्य कराये जाने **हेतु दिनांक–21.11.2016 की अपरान्ह 02–00 बजे तक पंजीकृत ठेकेदारों से कोटेशन निम्नवत शर्तो के अधीन आमन्त्रित किये जाते है।** इच्छुक व्यक्ति / ठेकेदार / फर्म / संस्था / निर्माण इकाई नियत दिनांक / समय तक अपना कोटेशन कलेक्ट्रेट नजारत अनुभाग में प्राप्त करा सकते है। नियत दिनांक / समय के बाद विलम्ब से प्राप्त होने वाले कोटेशन पर कोई विचार नही किया जायेगा। कार्य का विवरण निम्नवत है :–

क.सं.	लघु निर्माण कार्य का नाम	ऑगणन की धनराशि
1	2	3
1.	जिला कार्यालय कलक्ट्रेट भवन परिसर में स्थापित नया 30 के0वी0 जानसेट जनरेटर के सुरक्षा हेतु लोहे का जाल एवं टीन सैड लघु निर्माण काय	1,06,000.00

–:शर्ते :–

1– प्रश्नगत लघु निर्माण कार्य अवर अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग हरिद्वार की देख–रेख में पूर्ण कराया जायेगा, जिसमें कार्य की गुणवत्ता आदि पर विशेष बल दिया जायेगा।

2– कार्य पूर्ण होने पर उक्त कार्य का बाउचर माप पुस्तिका सहित सम्बन्धित ठेकेदार को अवर अभियन्ता लोक निर्माण विभाग के हस्ताक्षर युक्त प्रस्तुत करना होगा।

3– प्रत्येक कार्य का सम्बन्धित ठेकेदार / कार्यदायी संस्था / व्यक्ति / फर्म को रू0 100–00 के स्टाम्प पेपर पर **अनुबन्ध** करना होगा।

4– कार्य एक माह के भीतर पूर्ण करना होगा।

5– उक्त ठेकाराशि पर देय समस्त प्रकार के करों का भुगतान ठेकेदार / सम्बन्धित कार्यदायी संस्था / व्यक्ति / फर्म के द्वारा वहन किया जायेगा।

6– कोटेशनदाता को कोटेशन के साथ **रू0 5,000–00** की एफ0डी0आर0 जिलाधिकारी हरिद्वार के नाम बन्धक कराकर प्रस्तुत करना होगा, जो ठेके की शर्तो का पालन न होने पर यह धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

8– कोटेशन स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी हरिद्वार का होगा तथा इनका आदेश अन्तिम होगा एवं इस सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नही होगा। न्यूनतम दर के कोटेशन को भी स्वीकृत करना बाध्यता नही होगी।

प्रभारी अधिकारी (नजारत)
कृते जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

संख्या–3903 / नाजिर सदर–2016–2017(लघु निर्माण कार्य)तद्दिनांक–

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित।

1– मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार।
2– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर हरिद्वार।
3– नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार।
4– उप–जिलाधिकारी / तहसीलदार, हरिद्वार / रूडकी / लक्सर / भगवानपुर।
5– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, हरिद्वार।
6– जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, हरिद्वार।
7– जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार।
8– जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र अधिकारी हरिद्वार को कोटेशन सूचना बेवसाईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी (नजारत)
कृते जिलाधिकारी,
हरिद्वार।